



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13 1932

No. 616]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 886(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचना की तिथि से 31-3-2012 तक के लिए कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

- | | |
|---|---|
| 1. श्री एम. एल. बेल्लानी, ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन। | पत्तन में नियोजित श्रमिकों के प्रतिनिधि |
|---|---|

[फा. सं. पी टी-18011/10/2009-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

G.S.R. 886(E).—In exercise of powers conferred on it by clause (c) under sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the following as trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla Port Trust with effect from the date of notification till 31-3-2012 :

TABLE

- | | |
|---|--|
| 1. Shri M.L. Bellani, Transport & Dock Workers Union. | Representing Labour employed in the port |
|---|--|

[F. No. PT-18011/10/2009-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.